

अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर०एम०ए० वाद संख्या:-18/2016-17

लखीचंद यादव-बनाम-फादर लॉर्ज वगैरह

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बाद टिप्पणी तारीख सहित
26.08.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-श्री लखीचंद यादव, पिता-स्व० नन्द लाल यादव, सा०-पड़रिया, पो०-तीनपहाड़, थाना-राजमहल, जिला-साहेबगंज का अभिलेख उपायुक्त, साहेबगंज का न्यायालय पत्र सं०-263/वि०, दिनांक-03.05.2016 द्वारा हस्तान्तरण के पश्चात् सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर०ई० वाद संख्या-16/2011-12, दिनांक-28.12.2012 को पारित आदेश के आलोक में अपील वाद दायर किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि विगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	